# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

283/2021

| तारीख हुक्म | सरजू देवी बनाम जगदीश<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 16/02/2026 | पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/02/2026 को पेश हो।<br>राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर | |
| 23/02/2026 | आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधकारी बस्सी के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादीगण के स्वामित्व, खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नम्बर 30 रकबा 2 बिस्वा, 56 रकबा 4 बिस्वा, 57 रकबा 55 बीधा 10 बिस्वा, 57/63 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 55 बीधा 17 बिस्वा वाके ग्राम कैशोपुरा पटवार हल्का बराला भूअभिलेख निरीक्षक सांभरिया तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है। भूमिवादग्रस्त के मूल खातेदार वादीगण के पिता एवं पति स्व० श्री कन्हैयालाल है जिनकी मृत्यु दिनांक 07.11.2017 को चुकी है एवं वादीगण मूल खातेदार कन्हैयालाल के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान है। वादीगण वादपत्र के मद संख्या एक में वर्णित भूमिवादग्रस्त खसरा नम्बर 57 रकबा 55 बीधा 10 बिस्वा के काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी संख्या 1 भूमिवादग्रस्त हाल्ल खसरा नम्बर 60 रकबा 7 बीधा 18 बिस्वा के खातेदार काश्तकार है एवं वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो पडौसी खातेदार काश्तकार है। राजस्व कर्मचारियों एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा ग्राम कैशोपुरा तहसील बस्सी स्थित कृषि भूमियों का नक्शा देस तैयार किया गया उस समय राजस्व कर्मचारियों एवं राजस्व अधिकारियों ने वादीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 57 रकबा 55 बीघा 10 बिस्वा का नक्शा देस 55 बीधा 10 बिस्वा के मुताबिक व वादीगण के कब्जे काश्त को ध्यान में रखे बिना ही मात्र 54 बीधा 18 बिस्वा का ही नक्शा देस बना दिया एवं प्रतिवादी संख्या एक की खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 60 रकबा 7 बीधा 18 बिस्वा का रकबा जमाबन्दी में दर्ज रकबे 7 बीधा 18 बिस्वा के मुताबिक नहीं बनाकर 9 बीधा 10 बिस्वा का नक्शा देस तैयार कर दिया जबकि कानूनन राजस्व कर्मचारियों व राजस्व अधिकारियों को किसी भी खातेदार की खातेदारी भूमि का नक्शा देस उक्त खातेदार की खातेदारी की भूमि की जमाबन्दी में दर्ज रकबे के मुताबिक ही तैयार करना होता है एवं खातेदारी की भूमि से अधिक भूमि के रकबे का नक्शा देस कानूनन तैयार नहीं किया जा सकता है। राजस्व कर्मचारियों एवं राजस्व अधिकारियों ने वादीगण की कब्जेकाश्त एवं<br>राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर | |

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | सरजू देवी बनाम जगदीश<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 283/2024 | | |

खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 57 रकबा 55 बीघा 10 बिस्वा की भूमि का नक्शा मात्र 54 बीघा 18 बिस्वा का बना दिया था एवं प्रतिवादी संख्या एक की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 60 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा का नक्शा ट्रेस 7 बीघा 18 बिस्वा का ना बनाकर 9 बीघा 10 बिस्वा का बना दिया था इस प्रकार वादीगण की खातेदारी की भूमि का हाल नक्शा 12 बिस्वा कम बनाकर प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 60 के नक्शा ट्रेस में शामिल कर दिया गया एवं अन्य भूमियों के रकबे को भी कम कर प्रतिवादी संख्या एक की भूमि का नक्शा पढा दिया गया था यानिकी की प्रतिवादी संख्या एक का राजस्व नक्शा जमाबन्दी में दर्ज रकबे से 1 बीघा 12 बिस्वा अधिक है एवं कानूनन राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों को राजस्व नक्शें को बढाने का कोई वैधानिक हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादपत्र के अन्त में ईस्तदुआ चाही गयी कि वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 डिक्री किया जाकर वादीगण के स्वामित्व एवं खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 57 के राजस्व नक्शे को जमाबन्दी में दर्ज रकबे 55 बीघा 10 बिस्वा के मुताबिक व वादीगण के कब्जे काश्त के मुताबिक दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान करे एवं राजस्व रिकार्ड में स्व. कन्हैयालाल के स्थान पर वादीगण का नाम अपडेट करते हुये अनुतोष चाहा गया |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 3 बावजूद सूचना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी, उसके पश्चात पत्रावली उपखण्ड अधिकारी बस्सी से सहायक कलेक्टर बस्सी के समक्ष स्थानातरित कर दी | जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण की बहस समायत कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28/02/2020 पारित करते हुये वाद डिक्री फरमा दिया गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 01/02/2021 पारित कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है | जहाँ तक प्रकरण के गुणावगुण पर उद्धरित तथ्यों के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | सरजू देवी बनाम जगदीश<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 283/2024 | | |

परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों को विस्तृत रूप से विवेचित करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई हसतक्षेप किया जाना आवश्यक प्रतीत नही होता है |

अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28/02/2020 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 01/02/2021 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 23/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर